छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक :: GENS-2101/4506/2026-UAD नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25-06-2026

प्रति,

1. **समस्त आयुक्त,**
   नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़
2. **समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
   नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय :- **संस्थागत भवनों यथा कोचिंग संस्थान, शैक्षणिक भवन, लाइब्रेरी, हॉस्टल, होटल एवं हॉस्पिटल/नर्सिंग होम्स में सुरक्षा मानकों के आवश्यक निरीक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश बाबत।**

सन्दर्भ :- 1) बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध मेंजारी परामर्शों के क्रियान्वयन हेतु विभाग का पत्र क्रमांक GENS-2101/4506/2026-UAD, दिनांक 19.06.2026

2) बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट सुरक्षा के सम्बन्ध मेंजारी परामर्शों के क्रियान्वयन हेतु विभाग का पत्र क्रमांक GENS-2101/4142/2026-UAD, दिनांक 19.06.2026

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत विगत दिवसों में देश के कई शहरों यथा- दिल्ली, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा के संस्थागत/वाणिज्यिक भवनों में आगजनी की अप्रिय घटनाएँ घटित हुई है। जिसमे व्यापक स्वरुप में जनधन की हानि हुई है। भविष्य में ऐसे अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु उक्त प्रकार के समस्त भवनों में तत्काल व्यापक निरीक्षण किये जाने के निम्न निर्देश दिए जाते हैं :-

विद्युत् सुरक्षा :-

- भवनों में लगे सभी विद्युत् उपकरण की जाँच **सक्षम एजेंसी** के माध्यम से कराई जानी चाहिए, बिजली की वायरिंग अच्छी तरह से मेंटेन की गई है और कोई भी तार खुली या ढीली नहीं है, जिससे **शार्ट सर्किट का खतरा** हो इत्यादि का विधिवत जाँच करावे।
- इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग से बचने के लिए ELCB, MCB या अर्थिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं इसकी जाँच की जावे।
- वातानुकूलित उपकरण (Air Conditioner) के इलेक्ट्रिकल वायरिंग एवं उपकरण का समय-समय पर अनिवार्य रूप से सर्विसिंग किया जावे।

अग्निशामक यंत्र :-

- सभी अग्निशामक यंत्र (ABC प्रकार) आसानी से उपलब्ध और पहुँच योग्य ऊँचाई पर होना चाहिए।
- इनका मासिक निरीक्षण किया जाना चाहिए, सभी फायरExtinguishers उचित रूप से भरे हुए

एवं प्रेशर गेज (Pressure Gauge) हरे निशान पर होना चाहिए।

- वैधता अवधि समाप्त (Expiry) हो चुके अग्निशामक यंत्र बदले जावें।

<u>अग्नि शमन प्रणालियाँ (Fire Fighting Systems) :-</u>

- अग्नि शमन प्रणालियाँ (Fire Fighting Systems), स्प्रिंकलर, अलार्म सिस्टम और स्मोक डिटेक्टर नियमित रूप से चेक किए जावें तथा आपातकालीन पावर सिस्टम और वाटर पंप पर्याप्त दबाव के साथ काम कर रहे हैं अथवा नहीं चेक किया जावे।

<u>आपातकालीन निकास और गलियारे (Exits & Corridors) :-</u>

- प्रत्येक बहुमंजिला भवनों के निर्गम द्वार पर्याप्त बड़े आकार के होने चाहिए, ताकि वहां रहने वाले लोग आग लगने या अन्य आपात स्थिति में आसानी से बाहर निकल सके।
- आपातकालीन निकास और गलियारे यथा सभी रूम के गलियारे, सीढ़ियां और निकास मार्ग पूरी तरह से खाली रखे जावे। सभी निकास द्वारों पर चमकने वाले या रात में दिखने वाले 'EXIT' बोर्ड लगाए जावे। क्लासरूम के दरवाजे बाहर की ओर खुले, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने मुख्य आपातकालीन दरवाजे पैनिक बार आसानी से धक्का देकर खुलने वाले होने चाहिए।
- उपरोक्त सभी भवनों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 (चार) : अग्नि संकट से बचने के उपाय या बाहरी सीढ़ी एवं नियम 82 (पांच) : घुमावदार सीढियाँ (अग्नि संकट से बचने के मार्ग) में निहित प्रावधान के तहत आवश्यक व्यवस्था किये जावें।
- ऐसे सभी भवन जहाँ लिफ्ट संचालित हैं, वहाँ आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं सभी को दिखने योग्य सूचना लिफ्ट के आगम-निर्गम द्वार पर चस्पा किया जावे। लिफ्ट संचालन के सम्बन्ध में पूर्व में संदर्भित पत्र क्रमांक (2) में जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जावे।

<u>तलघर का उपयोग :-</u>

- छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम-73 अनुसार तलघर का उपयोग केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जावे -
- गैर ज्वलनशील सामग्री के भण्डारण,
- सुरक्षित कक्ष (स्ट्रांगरूम), बैंक सेलर, रेडिएशन कक्ष (केवल चिकित्सीय उपचार और अनुसन्धान के लिए),
- वातानुकूल उपकरण एवं अन्य मशीन (जो भवन की सेवाओं एवं सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता हो) के लिए,
- पार्किंग स्थान के लिए।

सुनिश्चित किया जावे कि, उपरोक्त के अतिरिक्त तलघर का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए न किया जावे।

<u>कमरों में वेंटिलेशन :-</u>

- सभी भवनों में, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम-79 अनुसार आवश्यक व्यवस्था

किये जावें, जिससे आग लगने जैसी आपात स्थिति में दम घुटने से बचाव किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन तथा सभी भवनों का 07 दिवस के भीतर निरीक्षण पूर्ण करते हुए प्राप्त कमियों के निराकरण हेतु आवश्यक सुधार/व्यवस्था की कार्यवाही की जावे। यदि संस्थानों के द्वारा आगजनी को रोकने हेतु कार्यवाही/आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की जाती है तो, **जनहित के दृष्टिकोण से आवश्यक व्यवस्था बनाए जाने तक, ऐसे संस्थानों/भवनों को बंद रखा जावे।** अपालन की दशा में सर्व संबंधितों/ जिम्मेदारों के विरूद्ध नियम सम्मत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Digitally signed by
R. Shangeetha
Date: 25-06-2026
15:45:52

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्र. : GENS-2101/4506/2026-UAD नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25-06-2026

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय उप-मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं भारसाधक मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
4. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा/बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़।
5. सहायक प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।